

बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)



बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण अंक
गजट सं०-०२ दिनांक ०४.०२.२०२०
मास-माघ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, दिन मंगलवार
विक्रम संवत्-२०७६

केस नं०- ०७ सन् ७४-७५
२९८/७५-७६

स्व० मोदा कुंवर,
पति- स्व० जगरनाथ सिंह,
सा०- भितरीबांध, थाना- बेलांव,
अंचल- रामपुर, जिला- कैमूर(भभुआ)।
अनुसूची- प्रपत्र सं०- ६

(ए०पी०- ६)

भू०ह० फारम- ५

बिहार भूमि सुधार(भूमि की हदबंदी और फाजिल भूमि का अर्जन) अधिनियम, बिहार लैंड रिफार्मस (फिक्सेशन ऑफ सिलिंग एरिया एण्ड ऐकजीजीसन ऑफ सरप्लस लैंड ऐक्ट-(१९६१) बिहार अधिनियम सं०- १२, १९६२ की धारा ११(१) के अधीन विवरण के प्रारूप के प्रकाशन का नोटिस फारम।

(देखें, नियम- ११)

बिहार अधिनियम सं०- १२, १९६२ के अधीन समाहर्ता के समक्ष।

चूंकि अधिनियम की धारा ६, ८ के अधीन या ग्राम/ग्रामों विवरणी संलग्न थाना- भभुआ, अनुमण्डल- भभुआ, जिला- कैमूर के भूधारी/भू-धारी के अभिभावक की ओर से नहीं दाखिल की गई है या धारा ७ के अधीन अन्य एजेन्सियों के जरिये मुझे सूचना प्राप्त हुई है तथा धारा ९ के अधीन भू-धारी ने अधिकतम क्षेत्र पसन्द कर लिया है और

चूंकि धारा ६, ८ या ९ के अधीन उपर्युक्त भू-धारी या उसकी ओर से दी गई सूचना धारा ७ के अधीन प्राप्त की गयी सूचना नियम- ८ में विहित रीति से जाँच कर ली गयी है और सत्यापित कर ली गई है।

इसलिए अब मैं अधिनियम सं०- १२, १९६२ के अधीन नियुक्त समाहर्ता, विवरण का प्रारूप तैयार करवा चुका हूँ, जिसमें इससे अनुलग्नक फारम सं०- ६ में भूमि के ब्योरे दिये गये हैं और उक्त विवरण प्रारूप जिसका ब्योरा अनुलग्नक फारम सं०- ५ दिया गया है।

बिहार भूमि सुधार/भूमि की हदबंदी और फाजिल भूमि का अर्ज नियमावली १९६२ के नियम- ११ और ३ के साथ वर्णित अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) जमीन इसके साथ प्रकाशित किया जाता है।

संबद्ध पक्षों की सुनवाई तथा कोई साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर देने के बाद उसपर ऐसा आदेश दूँगा जो उचित समझूँगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से आज दिनांक ०९.०१.२०२०

स्थान- भभुआ

ह०/-
(जन्मेजय शुक्ला)
दिनांक -०९.०१.२०२०
अनुमण्डल पदाधिकारी,
भभुआ(कैमूर)

भू०ह० फारम- 5

बिहार भूमि सुधार(भूमि की हदबंदी और फाजिल भूमि का अर्जन) अधिनियम, बिहार लैंड रिफार्मस(फिक्सेशन ऑफ सिलिंग एरिया ऐन्ड ऐक्वोजिसन ऑफ सरप्लस लैंड ऐक्ट)1961 (बिहार अधिनियम संख्या- 12, 1962) की धारा- 11(1) के अधीन विवरण के प्रारूप के प्रकाशन का नोटिस फारम।

(देखें नियम- 10)

भूधारी अधिनियम की धारा 5 के अधीन कितनी भूमि धारण करने का हकदार है तथा अधिनियम के अधीन भूधारी कितनी भूमि धारण कर सकता है उससे अधिक कितनी क्षेत्र धारा- 15 के अधीन फाजिल भूमि के रूप में अर्जित किया गया।

जिला गजट

भूधारी का नाम तथा उसके पिता का नाम और पता	भूमि का वर्णन	ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	भूमि का प्रकार और श्रेणी	कुल रकबा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>स्व० मोदा कुवर, पति- स्व० जगरनाथ सिंह, सा०- भितरीबांध, थाना- बेलांव, अंचल- रामपुर के उतराधिकारी राजमुनी देवी वी अलखराज देवी तथा कृष्णगोपाल सिंह, पुत्र स्व० रामधारी कुवर, पिता- स्व० बुद्धसेन सिंह, सा०- मोहगढ़ रीवां, मध्यप्रदेश</p>	<p>1. भूधारी द्वारा धारित हर श्रेणी की भूमि का रकबा और वर्णन 2. हर श्रेणी की ऐसी भूमि का रकबा और वर्णन जिसे भूधारी अधिक क्षेत्र में शामिल करना चाहता हो। 3. भूधारी द्वारा धारित सुशिलस्ट प्रखण्डों के बागों का रकबा और वर्णन जिन्हें वह रखना चाहता हों। 4. अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को भूधारी द्वारा धारित वसगीत भूमि और पक्की संरचनाओं तथा ऐसी संरचनाओं के उपयोग और उपभोग और उपभोग के लिए आवश्यक भूमि सहित उस भूमि और पक्की संरचनाओं का रकबा और वर्णन जिन्हें भू-धारी रखना चाहता हों 5. उस भूमि का रकबा और वर्णित, जिसे वह धारा 29 की उप-धारा(1)के खंड(ख) की मद(1)(11)(5)(6)(7) या धारा 29 की उप-धारा(2) की मद(i) और (ii) के अधीन विमुक्त करना चाहता हों 6. हरेक कोटी, यथा श्रेणी (1)(11)(3)(4)(5) को ऐसी भूमि का रकबा और वर्णन जिसे समाहर्ता ने धारा 5 के अधीन भू-धारी को धारण करने की अनुमति ली है। 7. धारा 29 के अधीन विमुक्ति भूमि का रकबा और वर्णन। 8. ऐसी फाजिल भूमि का रकबा और वर्णन जिसे भूधारी अपने पास रखने का हकदार न हो और जो धारा 15 के अधीन अर्जित की जायेगी।</p>	<p>विवरणी संलग्न विवरणी संलग्न विवरणी संलग्न</p>						

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से आज तारीख 09.01.2020 को दी गयी।

स्थान:- भभुआ

ह०/-
 (जन्मेजय शुक्ला)
 दिनांक -09.01.2020
 अनुमण्डल पदाधिकारी,
 भभुआ(कैमूर)

विवरणी एक- भू-धारी द्वारा धारित कुल भूमि का ब्यौरा:-

भूधारी का नाम व पता	मौजा	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	श्रेणी		
स्व० मोदा कुवंर, पति- स्व० जगरनाथ सिंह, सा०- भितरीबांध, थाना- बेलांव, अंचल- रामपुर के उतराधिकारी राजमुनी देवी व० अलखराज देवी तथा कृष्णगोपाल सिंह, पुत्र स्व० रामधारी कुवंर, पिता- स्व० बुद्धसेन सिंह, सा०- मोहगढ़ रीवां, मध्यप्रदेश	मौजा- गंभीरपुर / 874	05	01	06.80	III		
			18	10.00	"		
	नवाडीह / 873	06	21	05.82	"		
			लडुवीखडुवी / 875	06	22	12.87	"
				26	04.23	"	
				27	0.05	"	
				30	06.20	"	
				31	0.54	"	
				38	05.95	"	
			39	0.06	"		
			41	0.06	"		
			14	17	15.87	"	
	15	35	04.05	"			
	भीतरीबांध / 872	27	99	2.57	"		
			150	0.09	IV		
			313	0.02	"		
			311	0.04	"		
			308	0.02	"		
			99 / 443	0.16	III		
			153	0.03	IV		
			314	0.04	"		
	राजदेवा / 870	11	18	0.25	III		
			16 / 83	0.12	III		
योग:-			75.84				

समाहर्ता, कैमूर(भभुआ) द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2008 के आलोक में उपांकित विवरणी से अलग की गई भूमि का विवरण:-

मौजा / थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा(ए०डी०)
लडुवीखडुवी / 875	06	22	12.87
		26	04.23 (साहब दयाल सिंह को)
		14	15.87 देवीदयाल सिंह को
राजदेवा / 870	11	18	0.25
		16 / 83	0.12 दुर्गावती जलाशय परि० को

योग:-33.34

सम्पूर्ण भूमि:- 75.84 एकड़ भूमि में 33.34 एकड़ भूमि अलग करने के पश्चात कार्यवाही में धारित भूमि (75.84 ए०-33.34ए०)= 42.50 एकड़

(जन्मेजय शुक्ला)
दिनांक -09.01.2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
भभुआ।

विवरणी- 02- भूधारी को दी जाने वाली जमीन का ब्यौरा:-

भूधारी का नाम व पता	मौजा	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	श्रेणी
स्व० मोदा कुवर, पति- स्व० जगरनाथ सिंह, सा०- भितरीबांध, थाना- बेलांव, अंचल- रामपुर के उत्तराधिकारी राजमुनी देवी व अलखराज देवी तथा कृष्णगोपाल सिंह, पुत्र स्व० रामधारी कुवर, पिता- स्व० बुद्धसेन सिंह, सा०- मोहगढ़ रीवां, मध्यप्रदेश	गंभीरपुर / 874	05	01	06.80	III
			18	10.00	"
	लडुवीखडुवी / 875	06	38	05.95	"
			39	0.06	"
			41	0.06	"
			15	35	02.13
			योग:-	25.00	"

ह० / -

(जन्मेजय भुक्ला)

दिनांक 09.01.2020

अनुमंडल पदाधिकारी,

भभुआ।

विवरणी-03- भू-हदबंदी के अधीन अर्जित की जाने वाली भूमि का ब्यौरा:-

भूधारी का नाम व पता	मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	श्रेणी
स्व० मोदा कुवर, पति- स्व० जगरनाथ सिंह, सा०- भितरीबांध, थाना- बेलांव, अंचल- रामपुर के उत्तराधिकारी राजमुनी देवी वो अलखराज देवी तथा कृष्णगोपाल सिंह, पुत्र स्व० रामधारी कुवरं, पिता- स्व० बुद्धसेन सिंह, सा०- मोहगढ़ रीवां, मध्यप्रदेश	नावाडीह / 873	06	21	05.52	III
	लडुवीखडुवी / 875	06	27	0.05	III
		30	06.20	III	
		31	0.54	III	
		15	35	01.92	III
	भितरीबांध / 872	27	99	2.57	III
			150	0.09	IV
			313	0.02	IV
			311	0.04	IV
			308	0.02	IV
			99 / 443	0.16	IV
			153	0.03	IV
			314	0.04	IV
	कुल:-			17.50	

अधिनियम संख्या- 12, 1962 के अधीन
समाहर्ता का मुहर

ह०/-
(जन्मेजय भुक्ला)
दिनांक 09.01.2020
अनुमंडल पदाधिकारी,
भमुआ।